

2021/16

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| प्रार्थना पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
| 6/21 | 136 L.R Act | दुर्डी | ६९३१ |
| वादी (18006/2) | | वाद शीर्षक | प्रतिवादी |
| रामविलास | | बनाम | राज0 सरकार |

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

| दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | विविध संदर्भ |
|---------|--|--------------|
| 10/2/21 | <p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">OK</p> | |
| 17/3/21 | <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार द्वारा से नवाब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। पुनः तहसीलदार को लिखा जाकर रिपोर्ट ली जावे। वाले रिपोर्ट/ जवाब पत्रावली दिनांक 5/5/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">OK</p> <p style="text-align: center;">श्रीरोना सुभमण अन्य न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 8/6/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री 45 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p> | |
| 8/6/21 | <p style="text-align: center;">श्रीरोना सुभमण अन्य न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 12/7/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री 46 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p> | |
| 12/7/21 | <p>अन्य न्यायाधीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 17/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">श्री 47 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p> | |

प्रशासन
न्यायालय उपस्थित

17⁸/₂₁

पत्रावली नो. 19 के कारण पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्राथी उपस्थित। तहसीलदार इका के रिपोर्ट प्राप्त नहीं। वाले रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 27/9/21 को पेश हो।
m

प्रशासन गाँवों के रांग अभियान-2021

10¹¹/₈₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के रांग अभियान 2021 सि. नि. 2 ग्राम पंचायत गोलबड़ा नीचा पर पेश हुई। प्राथी द्वारा प्रकरण नम्बर भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 U.R Act के अन्तर्गत प्राथी पर पेश किया। जिसमें ग्राम वट्टी तहसील इका के आधी राता संख्या 94 जमीनें सम्बत 2073-2076 में प्राथी का नाम सम्मिलित दर्ज हो गया है जिसे सम्मिलित के स्थान पर सम्मिलित किया जावे। जिसकी तहसीलदार इका से रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार इका ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम वट्टी के राता संख्या 94 के सहस्त्रदेव प्रभोकर पुत्र नंद किशोर भीला एवं हरिनाथ प्रभोकर के नाम के कान लिए गए तथा प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्राथी का नाम सम्मिलित है। बताया है कि दस्तावेज एवं गवाही व मजमेओम में जांचकारी करने पर प्राथी का नाम सम्मिलित के स्थान पर सम्मिलित किया जाना उचित है।

मुताबिक इका परवारी, भू. अधि. निरीक्षक एवं तहसीलदार इका के अनुशेषी व सहस्त्रदेव प्रभोकर के नामों के आधार पर प्राथी का नाम ग्राम वट्टी के राता संख्या 94 में ग्राम सम्मिलित के स्थान पर सम्मिलित उचित सम्मिलित किया जाने के आदेश तहसीलदार इका को दिये जाते हैं। तहसीलदार पालना सुनिश्चित करें। नोटिस प्रेषक से जारी हो। पत्रावली फाइल नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो।
m

उपस्थित अधिकारी
उपस्थित अधिकारी (रांग)

“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज०)

-: आदेश :-

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती” प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मिलवाडा नीचा व भू.अ.नि. जैपला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां / नायब तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धररी तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 94 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | <u>धररी</u> | <u>94</u> | <u>रामनिवास पुत्र हजारी</u> | <u>रामविलास उर्फ</u> <u>रामनिवास पुत्र हजारी</u> |



मिलवाडा नीचा
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)
उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/20.2.21/कैम्प मिला नीचा/179

दिनांक 10.11.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार छबड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामनिवास उर्फ रामनिवास पुत्र हजारी को सूचनाथी।
3. रक्षित पत्रावली।

मिलवाडा नीचा
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)